न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 65 / 2011 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2011 / 00018

उनवानी :–

1– सोहनलाल पुत्र श्री रामकिशन जाति जाटव निवासी ग्राम तुहिया जिला भरतपुर हाल आवाद ग्राम सालावाद तहसील बयाना जिला भरतपुर

अपीलांट––––––––––––

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,भरतपुर

स्पो0––––––

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलैक्टर भरतपुर

दिनांक 21.03.2011 मु0न0 33 / 2009

उनवानी सोहन लाल बनाम राज0 सरकार ।

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री सुनील राजवीर

2– श्री रवीन्द्र सिंह फौजदार(राजकीय अधिवक्ता) रैस्पो0

निर्णय   दिनांक 18.12.2017

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 184 मिन में से दि0 2.10.70 को तीन बीघा भूमि, जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है, का आवंटन उपजिला कलैक्टर भरतपुर के द्वारा ग्राम ठेई तहसील व जिला भरतपुर में हुआ था और उक्त आंवटन के आधार पर इन्तकाल संख्या 18 दि0 11.8.75 के द्वारा राजस्व रिकोर्ड में वादी के नाम गैरखातेदार अकिंत हुआ है। उक्त अंकन को गलत तरीके से हटा दिया गया है अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी का वाद अस्वीकार कर दिया गया है जिसे खारिज कर अपीलार्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी अपीलार्थी को वर्ष 1970 में आवटिंत हुई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय नें गलत तरीके से अपीलार्थी का घोषणा का वाद खारिज कर दिया है। अपीलार्थी विवादित आराजी पर आवंटन के समय से ही काबिज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को विवादित आराजी खातेदार घोषित किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी राजकीय अधिवक्ता नें निवेदन किया कि विवादित आराजी चारागाह है जिस पर आवटंन नहीं किया जा सकता अतः अपील खारिज की जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नें रेकार्ड से मामला सिद्ध नहीं होने के कारण वाद खारिज किया है। अपीलार्थी नें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विवेचन के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है कि किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नें अपने निर्णय में त्रुटि की है। रेकोर्ड के मुताबिक विवादित आराजी चरागाह भूमि है। रेकोर्ड के सततता के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि कब एवं किस आधार पर आवटिंत भूमि चारागह अकिंत हुई है। अतः रिकोर्ड की सततता से पुष्ट नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

<u>डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix ‘D’ -1)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

ब इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया

अपील संख्या 30 / 2015 (223आर.टी.एक्ट)

उनवानी :–

1– बीना देवी वेवा स्व0 चन्दनलाल जाति ब्राह्मण निवासी हलवाई मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर

2–नरेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 चन्दनलाल जाति ब्राह्मण निवासी हलवाई मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर

3–सुरे ा पुत्र स्व0 चन्दनलाल जाति ब्राह्मण निवासी हलवाई मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर

4–श्रीमती निम्मादेवी पुत्री स्व0 चन्दनलाल जाति ब्राह्मण निवासी हलवाई मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर

अपीलांट————————

बनाम

1– श्रीमती जमुनादेवी पुत्री पन्नालाल पत्नी भाांतिलाल जाति ब्राह्मण निवासी पुरान बस स्टेण्ड किरावली तहसील किरावली जिला आगरा

2– श्रीमती कुसुम पुत्री पन्नालाल पत्नी हरी ाचंद जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाडा कस्बा नदबई जिला भरतपुर

3–श्रीमती कमला पुत्री पन्नालाल पत्नी विनोदलाल जाति ब्राह्मण निवासी दस विसा गोरधन जिला मथुरा (उ0प्र0)

4–वेदप्रका ा पुत्री श्री पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी हलवाई मौहल्ला कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

5–कान्ताप्रसाद पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी निवासी हलवाई मौहल्ला कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

रैस्पो0————————

6–रामबाबू पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी बी 26 तिलक नगर भरतपुर

7–श्रीमति सावित्री देवी वेवा निरंजन जाति ब्राह्मण निवासी लवानिया मौहल्ला भीतरवाडी बयाना जिला भरतपुर

8–सु ील पुत्र निरंजन जाति ब्राह्मण निवासी लवानिया मौहल्ला भीतरवाडी बयाना जिला भरतपुर

तरतीवीरैस्पो0——————

आज दिनांक 21.2.2017 को बहाजरी व वकीलअपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा रेस्पांडेन्ट श्री सोनीराम शर्मा डिकरी दी जाती है कि आदे ा है कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष न रख पाने एंव लिमिटे ान के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.2.2017 की जारी की गई।

(जे0एन0मथुरिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पै,	मुद्दायलाह	रूपया	पै,
स्टाम्प अपील स्टाम्प वकालतनामा	02 01	0 0	स्टाम्प जवाब स्टाम्प वकालतनामा	00 01	0 0
मीजान	03	0	मीजान	01	0